By :Akhilesh Kumar
Jk college Biraul Darbhanga
YouTube : Ak commerce Education

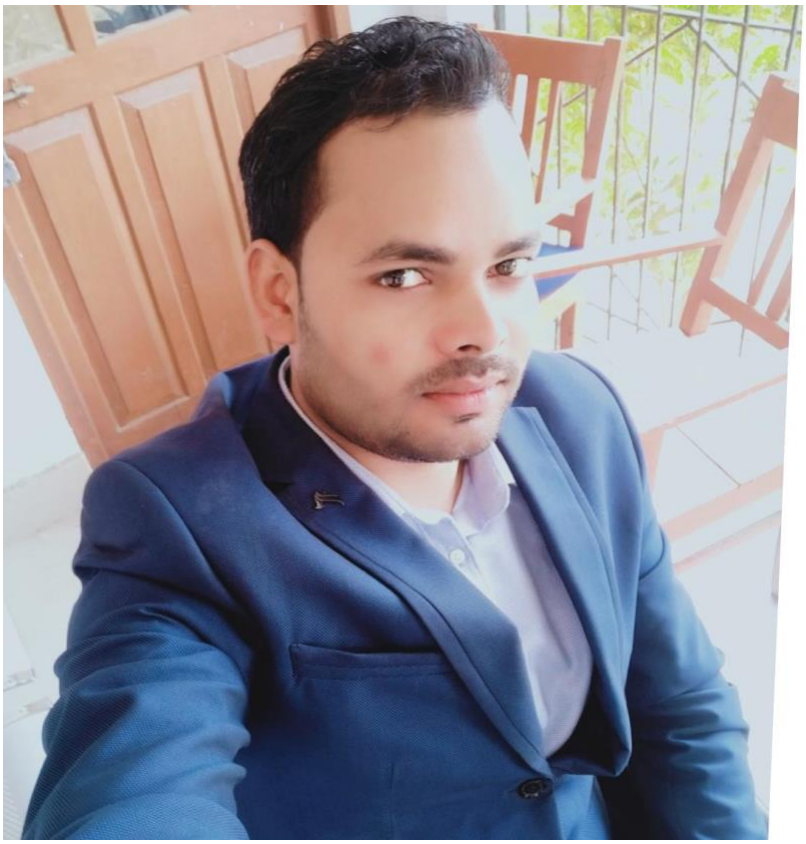

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Easy to understand the concept

By :Akhilesh Kumar
Jk college Biraul Darbhanga
YouTube : Ak commerce Education

(Indian Contract Act, 1872)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872

➢ अनुबन्ध: सामान्य अध्ययन (Contract: General Study) :

हमारे दैनिक जीवन में अनुबन्धो का विशेष स्थान है | हम प्रायः: प्रतिदिन जाने-अनजाने अनेक अनुबन्ध करते है जिसमें कोई वादा (प्रतिज्ञा) (Promise) किया जाता है |

जैसे बस में सवार होना, पुस्तकालय से पुस्तक लेना, अपना समान रेल के अमानती घर में जमा करना या कोई वस्तु उधार खरीदना आदि | जब उस बस में सवार होते है तब हमारे एवं बस मालिक के बीच एक अनुबंध हो जाता है जिसके अंतर्गत बस कंपनी एक निश्चित किराये के बदले में हमें निश्चित स्थान तक पहुँचाने का वजन देते है | वास्तविकता यह है कि अनुबन्ध करने वाले व्यक्तियों को सामान्यतः: इसके कानूनी पक्ष का भी आभास नहीं होता एवं प्रायः वे एक और ध्यान भी देते है |

भारत में जिस सन्नियम (Law) द्वारा अनुबन्ध से उत्पन्न हुये पक्षकारो के अधिकारों और दायित्वों का नियमन और निपटारा किया जाता है, उसे भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872(Indian Contract Act, 1872) कहते है |

यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है| इस अधिनियम को 25 अप्रैल, 1872 को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने स्वीक्रति प्रदान की थी और यह अधिनियम 1 सितम्बर, 1872 से प्रभावित हुआ |

अनुबन्ध का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning of definition of contract) – 'अनुबन्ध' शब्द अंग्रेजी के 'Contract' शब्द का हिंदी अनुवाद है | अंग्रेजी भाषा के 'Contract' शब्द की उत्पति लेटिन भाषा के 'Contractun' शब्द से हुई है जिसका अर्थ साथ मिलने से है | इस द्रष्टिकोण से दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी ठहराव(agreement)के लिये मिलाना ही अनुबन्ध है | इसमें हिन्दी में 'संविदा' या 'करार' भी कहते है |

कानून रूप में दो या दो से अधिक पक्षकारो के बिच किये गए बे ठहराव जो राजनियम(Law)द्वारा परिवर्तनीय है, अनुबन्ध कहलाती है |

अनुबन्ध के मुख्य परिभाषाएँ निम्न प्रकार है -

सालमण्ड (Salmond) के अनुसार, "अनुबन्ध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारो के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है और उन

दायित्वों की व्याख्या करता है |" (Contract is an agreement creating and defining obligations between the parties,)

सर विलियन एन्सन - के अनुसार,

"अनुबन्ध दो या दो से अधिक व्यक्तियो के बीच किया गया एक ऐसा ठहराव है जो की राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है तथा जिसको द्वारा एक या अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारो के विरुद किसी भी कार्य को करने या न करने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त कर लेते है |" (A contract is an agreement enforceable at law made between two or more persons, by which rights are acquired by one or more acts or forbearance on the part of the other or others,)

सर फ्रेडरिक पोलाक (Sir Fredric Pollock) के अनुसार, "प्रत्येक ठहराव तथा वजन जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, अनुबन्ध कहलाते है |" (Every agreement and promise enforceable by law is a Contract,)

By :Akhilesh Kumar
Jk college Biraul Darbhanga
YouTube : Ak commerce Education

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2 (H) के अनुसार, "ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, अनुबन्ध कहलाता है |" (An agreement enforceable at law is Contract,)

❖ उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर अनुबन्ध के लिये निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है-

1, पक्षकारो के मध्य ठहराव का होना - अनुबन्ध होने के लिये ठहराव का होना आवश्यक होता है | जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिये वचनबद्ध हो तो उसे ठहराव कहते है | सरल शब्दों में ठहराव की उत्पति एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव करने और दूसरे पक्षकार द्वारा उसकी स्वीकृति करने पर होती है | अतः ठहराव के लिये कम से कम दो पक्षकारो का होना आवश्यक है |

उदाहरणार्थ, आशीष विपुल के समक्ष अपना स्कूटर रुपये ने बेचने का प्रस्ताव रखता है और विपुल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है | विपुल द्वारा स्वीकृति देने पर आशीष एवं विपुल के बीच एक ठहराव हो जाता है |

By :Akhilesh Kumar
Jk college Biraul Darbhanga
YouTube : Ak commerce Education

2, ठहराव द्वारा वैधानिक उतरदयित्व का उत्पन्न होना -

अनुबन्ध के लिये यह आवश्यक है की ठहराव वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा से किया गया हो जिसमें पक्षकारो के बीच वैधानिक उतरदयित्व उत्पन्न हो |

ऐसे दायित्व जिनका पूरा करने के लिये सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के ठहराव जिनमें पक्षकारो का इरादा किसी प्रकार का वैधानिक उतरदयित्व उत्पन्न करने का नहीं होता, उन्हें अनुबन्ध नहीं कह सकते | कही पर घुमने जाने, सिनेमा देखने जाने अथवा दावत में सम्मिलित होने के लिये दी गई सहमति से किसी प्रकार के वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होते और इसलिये ऐसे ठहराव कभी भी अनुबन्ध का रूप धारण नही कर सकते |

3, वैधानिक दायित्व का राजनियम (कानून) द्वारा परिवर्तनीय होना - कोई ठहराव तभी अनुबन्ध का रूप लेता है जब कानून द्वारा परिवर्तनीय होता है अर्थात आदि कोई पक्ष अपने वजन को पूरा नहीं करता है तो दुसरा पक्ष उसे न्यायालय की सहायता से वजन को पूरा करने के लिये बाध्य कर सकता है सरल शब्दों में कोई ठहराव राजनियम द्वारा तभी परिवर्तनीय माना जाता है

जब पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्ष के विरुद्ध (उस पक्ष के विरुद्ध जिसने अपने दिये हुये वचन को पूरा नहीं किया है) क़ानूनी कार्यवाही कर सकता है |

- इस लिये आवश्यक बातों का उल्लेख इस अधिनियम कि धारा 10 में किया गया है जो इस प्रकार है -

"समस्त ठहराव अनुबन्ध है, यदि वे उन पक्षकारो की स्वतन्त्र सहमति से किये जाते है जो अनुबन्ध करने के की क्षमता रखता है, वैधानिक प्रतिफल के लिए तथा वैधानिक उदेश्य से किये जाते है और इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूपों से व्यर्थ घोषित नहीं कर दिये गये है | इसके अतिरिक्त ठहराव लिखित हो अथवा साक्षी द्वारा प्रमाणित हो अथवा रजिस्टर्ड हो यदि भारत में प्रचलित किसी विशेष राजनियम द्वारा ऐसा होना अनिवार्य हो |"

- **वैध अनुबन्ध के आवश्यक लक्षण (Essentials of a Valid Contract)** – भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा **2 (H)** एवं **धारा 10** में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एक वैध अनुबन्ध में निम्नलिखित लक्षणों का होना आवश्यक है -

By :Akhilesh Kumar
Jk college Biraul Darbhanga
YouTube : Ak commerce Education

1.ठहराव का होना (Agreement) – एक वैध अनुबन्ध के लिये ठहराव का होना आवश्यक है | ठहराव के लिये वैध प्रस्ताव और वैध स्वीक्रति का होना आवश्यक है अर्थात् प्रस्ताव एवं स्वीकृति भारतीय अनुबन्ध अधिनियम में प्रस्ताव एवं स्वीक्रति के सम्बन्ध में दिये गये नियमों के अनुसार होने चाहिये | इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है की ठहराव में दोनों पक्षकारो की इच्छा वैधानिक उतरदयित्व उत्पन्न करने की होनी चाहिये अर्थात् ठहराव वैधानिक (क़ानूनी) रूप से दोनों पक्षकारो पर लागू होना चाहिये | यदि पक्षकारो की इच्छा ठहराव द्वारा कोई सामाजिक या राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की है तो यह अनुबन्ध नहीं होगा |

उदाहरण के लिये राम, श्याम को अपने घर पर भोजन के लिये आमन्त्रित करता है और श्याम इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है | परन्तु किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त होने के कारण श्याम भोजन पर नहीं आता अथवा राम भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता है तो पीड़ित पक्षकार दूसरे के विरुद्ध कोई कानून कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि उक्त ठहराव में पक्षकारो के मध्य कोई वैधानिक उतरदयित्व उत्पन्न नहीं होता |

2. पक्षकारो में अनुबन्ध करने की क्षमता (Contractual Capacity to Parties) – 'अनुबन्ध' होने के लिये आवश्यक ही की ठहराव ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चहिये जो वैधानिक द्रष्टि से अनुबन्ध करने की क्षमता रखते हो | भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार वही व्यक्ति अनुबन्ध रखने की क्षमता रखते है जो -

(i) देश में प्रचलित राजनियम के अनुसार वयस्क (Major) है,

(ii) स्वस्थ मस्तिष्क (Sound Mind) के है तथा

(iii) किसी अन्य राजनियम द्वारा (जिसके अधीन वे है) अनुबन्ध करने के अयोग्य घोषित नहीं है |

(iv) उदाहरणस्वरूप-विदेशी राजदूत, विदेशी शत्रु, दिवालिया, कैदी आदि व्यक्ति अनुबंध करने के लिये योग्य माने गए है |

3. पक्षकारो के स्वतन्त्र सहमति (Free Consent of the Parties) – वैध अनुबंध के निर्माण के लिये आवश्यक है की पक्षकारो के मध्य सहमति होनी चाहिये और वह सहमति स्वतन्त्र भी होनी चाहिये | दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उसी समय मानी जाती है जबकि वे एक बात पर एक ही अर्थ में सहमत हो एवं 'सहमति' केवल दश में स्वतन्त्र कही जा सकते है, जबकि वह अपनी मर्जी से तथा बिना किसी दबाव के दी गई हो | यदि सहमती बल प्रयोग (Coercion), अनुचित प्रभाव (Undue Influence), मिथ्या वर्णन (Misrepresentation) अथवा कपट द्वारा प्राप्त की गई है जो सहमति स्वतन्त्र नहीं मानी जाएगी | ऐसी दशा में पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध रद किया जाता है |

4.न्यायोचित प्रतिफल - ठहराव को कानून द्वारा परिवर्तनीय करने के लिये प्रतिफल का हों अत्यंत आवश्यक है | साधारण शब्दों में प्रतिफल का अभिप्राय "बदले में कुछ करने से है |' अतः यह आवश्यक है की ठहराव करने का दोनों पक्षकार 'कुछ प्रदान करें' तथा 'कुछ प्राप्त करें' | प्रतिफल के लिये यह आवश्यक नहीं की यह नकद या वस्तु के रूप में ही हो, बल्कि किसी कार्य को करने या न करने का वचन देना ही प्रतिफल है | प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भविष्य से सम्बन्धित हो सकता है लेकिन इसके लिए आवश्यक है की वह सही एवं वैधानिक हो | प्रतिफल इसलिये जरूरी माना

जाता है जिससे की पक्षकारो के मध्य वैज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा का आभास हो |

उदाहरणार्थ, हरि अपना स्कूटर कृष्ण को 5,000 रुपये में बेचने का ठहराव करता है तो हरी के लिए 5,000 रुपये प्रतिफल है तथा कृष्ण के लिए स्कूटर प्रतिफल है |

5. वैधानिक उदेश्य (Lawful Object) – ठहराव का उदेश्य वैधानिक होना चाहिये | ऐसा न होने पर वैध अनुबन्ध नहीं बन सकेगा | सरल शब्दों में, ठहराव का उदेश्य अवैधानिक (Illegal), अनैतिक (Immoral) तथा लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए | अनुबन्ध का उदेश्य किसी अन्य व्यक्ति अथवा उसकी सम्पति को हानि पहुँचाना भी नहीं होना चाहिए | उदाहरणार्थ, अजय विजय को संजय की हत्या के बदले एक लाख रुपये देने का ठहराव करता है तो यह वैध अनुबन्ध नहीं कहा जायेगा क्योंकि उक्त ठहराव का उदेश्य अवैधानिक है |

6.ठहराव का स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न होना (Agreement Expressly not declared Void) – वैध अनुबन्ध के लिये यह भी आवश्यक है कि ठहराव ऐसा नहीं होना चाहियें जो एस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ(void) घोषित किया गया हो |

जैसे - शर्तें या बाजी के ठहराव, व्यापार में रूकावट डालने वाले ठहराव, विवाह में रूकावट डालने वाला ठहराव आदि ठहरावों को कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन्हें अनुबन्ध अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ(void) घोषित किया जाता है |

7. ठहराव का लिखित, प्रमाणित व रजिस्टर्ड होना (Agreement should be Written and Registered, if Necessary) – यह अनिवार्य नहीं है की प्रत्येक

By :Akhilesh Kumar
Jk college Biraul Darbhanga
YouTube : Ak commerce Education

ठहराव लिखित या साक्षी (गवाह) द्वारा प्रमाणित या रजिस्टर्ड हो | ऐसा होना केवल उन्हीं ठहरावों के सम्बन्ध में आवश्यक है या भारत के किसी विशेष राजनियम द्वारा ऐसा केवल उन्हीं ठहरावों के सम्बन्ध में आवश्यक है जहाँ भारत में प्रचलित किसी विशेष राजनियम द्वारा ऐसा करने का आदेश हो |

उदाहरण के लिये बीमे के अनुबन्ध, अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का ठहराव, विनिमय साथी विलेख, तीन वर्ष से अधिक के पट्टे के ठहराव एवं पेंच निर्णय समझौते आदि का लिखित होना आवश्यक है | अचल सम्पतियो की बिक्री एवं बन्धक के अनुबन्धो का सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के अनुसार लिखित एवं रजिस्टर्ड होना आवश्यक है | वैसे भी अनुरूप का लिखित होना ही अच्छा माना जाता है क्योंकि कुछ दशाओं में मौखिक अनुबन्ध की विधमानता को सिध्द करना कठिन हो जाता है |

For Explanation of this notes subscribe my YouTube channel - Ak commerce Education